आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खगड़िया

ज्माबंदी रद्दीकरण वाद संख्या–11/13

मनोज कुमार सिंह वनाम बालमिकेश्वर प्रसाद सिन्हा वगैरह

आदेश

2.03.15

जमाबंदी रद्दीकरण का यह मामला आवेदक मनोज कुमार सिंह पिता स्व0 उपेन्द्र नारायण सिंह, ग्राम–ओलापुर गंगौर, थाना एवं जिला–खगड़िया द्वारा विपक्षी (उत्तरवादी) बालमिकेश्वर प्रसाद सिन्हा पिता स्व0 कुलदीप सहाय 2. अमर कुमार वर्मा पिता बालमिकेश्वर प्रसाद सिन्हा दोनों ग्राम–शिवपुरी पोखरिया मंडलकारा, बेगूसराय से पश्चिम थाना एवं जिला–बेगूसराय एवं दीपक प्रसाद सिन्हा पिता लक्ष्मी प्रसाद सिन्हा, ग्राम–: उत्तरी हाजीपुर, थाना–चित्रगुप्त नगर, खगड़िया, जिला–खगड़िया को पक्षकार बनाते हुए उनके नाम संधारित जमाबंदी संख्या–864 एवं 885 को रद्द करने के लिए लाया गया है जिससे सन्निहित भूमि का विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्र0	तौजी नं0	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	अराजी बी0 क0 धू0	ज्माबंदी नं0
हाजीपुर	525	267	156	05	00–06–00	864 एवं 885

तदनुसार प्रथम दृष्टया सुनवाई के पश्चात वाद की प्रविष्टि करते हुए विधिवत पक्षकारों को सूचना निर्गत किया गया। इस आलोक में विपक्षी संख्या–1 एवं 2 तथा विपक्षी सं0–3 की ओर से दांयर किए गये पृथक–पृथक रूप से आपत्ति आवेदन पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सविस्तार पूर्वक सुना तथा पक्षकारों की ओर से उपलब्ध कराये गये कागजी साक्ष्य (सबूत) को भी देखा।

आवेदक की ओरं से अपने दावा स्वरूप कथन के आलोक में बताया गया कि प्रश्नगत खाता, खेसरा के कुल 39बी0, 12क0, 06धू0 अराजी की भूमि खतियान में किस्म गैर मजरूआ खास आबादी दर्ज है किन्तु इसी सम्पूर्ण रकवे में अंश भू–भाग की जमीन को अवैधानिक तरीके से बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी पंजी–2 में जमाबंदी का सृजन करवा लिया गया है, जो अविलम्ब खारिज करने योग्य है। उनका कथन है कि इसी तरह विपक्षी के पूर्वजों के नाम प्रश्नगत भूमि की कोई बन्दोवस्ती नहीं दी गई है बल्कि अंचल अमला को प्रभाव में लाकर जमाबंदी पंजी–2 पर दाखिल खारिज वादसं0–05/79–80 को दर्शाते हुए दिनांक 11.11.1980 को विपक्षी द्वारा जमाबंदी संख्या–864 का सृजन अपने पूर्वज के नाम कराया गया है जो सर्वथा अवैधानिक है।

इसी क्रम में आवेदक द्वारा यह भी कहा गया है कि प्रश्नगत भूमि के मोताबिक विपक्षी सदस्यों ने कागजी साक्ष्य एकत्रित करने के उद्देश्य से एक जमाबंदी रैयत स्व0 दिनेश्वर प्रसाद सिंह से प्रश्नगत भूमि के कुल 06क0 अराजी में

आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

से 02क0 अराजी की भूमिम विपक्षी संख्या–2 एवं 3 के नाम निबंधित दस्तावेज दिनांक 13.07.1997 को अर्जित कर दाखिल–खारिज वाद संख्या–120/81–82 के माध्यम से जमाबंदी संख्या–885 सृजित कराया गया है जिसे विखंडित करने की याचना आवेदक द्वारा किया गया है जबकि विपक्षी संख्या–1 एवं 2 की ओर से अपने दावा के समर्थन में बताया गया कि प्रश्नगत भूमि की जमीन उन्हें भूतपूर्व जमींदार से उनके पूर्वज दिनेश्ववर प्रसाद सिंह एवं विन्देश्वरी प्रसाद सिन्हा के नाम बन्दोवस्ती के माध्यम से प्राप्त हुई है जिस पर ये अपने पर्वजों के काल से स्वत्व–स्वामित्व में रहकर खलकार चले आ रहे हैं। उनका कहना है कि उनके पूर्वज दिनेश्वर प्रसाद सिन्हा एवं बिन्देश्वर प्रसाद सिन्हा आपस में सगे भाई थे जिन्हें एक मकान मुंगेर में भी अवस्थित था। तत्पश्चात दोनों भाई के बीच आपसी खानगी बंटवारा हुई और इस आपसी खानगी बंटवारा के तहत बिन्देश्वरी प्रसाद सिन्हा को मुंगेर अवस्थित मकान एवं प्रश्नगत भूमि पर अवस्थित मकान दिनेश्वर प्रसाद सिन्हा को हिस्से स्वरूप प्राप्त हुई। तदोपरांत दिनेश्वर प्रसाद सिन्हा ने अपने जीवनकाल में ही उक्त वर्णित कुल 06क0 अराजी में से विपक्षी सं0–1 अमन कुमार वर्मा एवं विपक्षी सं0–3 दीपक कुमार सिन्हा के नाम एक–एक कठ्ठा अराजी की भूमि बजरिये निबंधित दान–पत्र के माध्यम से दान दे दिया गया तथा अवशेष 03क0 18धू0 अराज़ी की भूमि पर दिनेश्वर प्रसाद सिन्हा के चारों पुत्र यथा चन्द्रप्रकाश नारायण 2. बालमिकेश्वर प्रसाद सिन्हा 3. लक्ष्मी प्रसाद सिन्हा एवं योगेश कुमार सिन्हा दखलकार हुए और दिनेश्वर प्रसाद सिन्हा के प्रथम पक्ष चन्द्रप्रकाश नारायण अपने हिस्से के कुल 01क0 05धू0 अराजी की भूमि विपक्षी सं0–1 बालमिकेश्वर प्रसाद सिन्हा के पत्नी श्रीमती नीलम सिन्हा के नाम निबंधित दान–पत्र के माध्यम से दान स्वरूप दे दिये जिसके फलस्वरूप श्रीमती नीलम सिनहा ने अपनी दानवाली भूमि कुल 01क0, 05धू0 अराजी में से 08क0 05धू0 एक नवीन कुमार एवं पंजी कुमार को तथा 12धू0 अराजी की भूमि सरिता देवी पति अशोक मालाकार के नाम विक्री कर दिये जिस पर सभी क्रेतागण दखलकार बने हुये हैं।

विपक्षी की ओर से आगे यह भी कहा गया है कि विपक्षी सं0–1 बालमिकेश्वर प्रसाद सिन्हा ने अपने हिस्से की निजी जमीन अराजी 07धू0, 08धूरकी की जमीन भी एक हरिश्चन्द्र साह के नाम निबंधित दस्तावेज के माध्यम से विक्री कर चुके हैं जिस पर क्रेता दखलकार है तथा बचे हुए भूमि शेष हिस्सेदार लोग दखलकार है और सभी के नाम राज्य सरकार के अंचल कार्यालय के शिरिस्ता में जमाबंदी संधारित है तथा अद्यतन मालगुजारी की रसीद भी प्राप्त हो रही है।

इसी तरह विपक्षी (उत्तरवादी) संख्या–3 की ओर से अपने पृथक रूप से दाखिल आपत्ति आवेदन के अनुसार उक्त बातों को दोहराते हुए यह बताया कि यद्यपि कि आवेदनको प्रश्नगत भूमि से कोई वास्ता अथवा सरोकार नहीं है फिर भी उनके द्वारा यह मामला केवल उनके दखल–कब्जा में परेशान एवं व्यवधान उत्पन्न

की सं0 तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

करने के लिए लाया गया है क्योंकि आवेदक द्वारा विपक्षी संख्या–1 बालमिकेश्वर प्रसाद सिन्हा से उनके हिस्से वाली जमीन को कम कीमत पर अर्जित करना चाह रहे हैं किन्तु उनके द्वारा इन्कार करने की दशा में आवेदक द्वारा यह मामला लाया गया है जिस पर उनका कोई स्वत्व–स्वामित्व अथवा अधिकार नहीं है।

विपक्षी सं0–3 के द्वारा आगे यह भी बताया गया कि चूंकि प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी भूतपूर्व जमींदार द्वारा दी गई रिर्टन के आधार पर राज्य सरकार के सिरिश्ता में संधारित है जिसे माननीय उच्च न्यायालय, पटना के विभिन्न नियम के तहत यह व्यवस्था दिया गया है कि लम्बी अवधि से चली आ रही पुरानी जमाबंदी को छेड़छाड़ करने का अधिकार राजस्व न्यायालय की नहीं है। यह भी बताया गया कि प्रश्नगत भूमि के मोताबिक माननीय दिवानी न्यायालय अर्थात विद्वान मुंसिफ न्यायालय, खगड़िया के दिवानी वाद सं0–35/1995 के द्वारा उनके पक्ष में निपटारा किया जा चुका है इसलिए वर्त्तमान प्रक्रिया को खारिज करने की याचना उनके द्वारा किया गया है।

विपक्षी सं0–3 दीपक कुमार सिन्हा की ओर से अपने दावा के समर्थन में निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत किया है :–

1. विपक्षी संख्या–3 दीपक सिनहा के पक्ष में निष्पादित दान–पत्र।
2. जमाबंदी संख्या–885 के संदर्भ में निर्गत मालगुजारी की रसीद।
3. दिवानी वाद संख्या–35/1995 में पारित अंतिम आदेश की प्रति।
4. दिवानी वाद संख्या–35/1995 में पारित डिग्री आदेश की छाया प्रति प्रस्तुत कराया गया है।

उपरोक्त कागजातों के विश्लेषण के पश्चात यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि के संदर्भ में स्वत्व एवं दिवानी वाद के द्वारा भी निपटारा किया जा चुका है। फलस्वरूप इस स्तर से अब हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

अतएव वर्त्तमान विचाराधीन जमाबंदी रद्दीकरण का यह मामला खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर) 21/3/15

अपर समाहर्त्ता
खगड़िया।

(हस्ताक्षर) 21/3/15

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

ज्ञा0सं0 — 96 / दिनांक 19.3.15

प्रतिलिपि अंचल अधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित

(2) प्रतिलिपि जिला सूचना पदाधिकारी एन0 आई0 सी0 को सूचनार्थ एवं निदेश है कि इस आदेश को खगड़िया जिले के वेबसाइट पर अपलोड करें।

(हस्ताक्षर)
अपर समाहर्त्ता
19-3-2015 खगड़िया